आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005
फोन-(022) 66553336/ 3147
ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के सदस्यों की **20वीं वार्षिक महासभा मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों** (ओएवीएम) के जरिये आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना;

3. श्री राज कुमार (डीआईएन: 06627311), एलआईसी के नामिती निदेशक को आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

4. श्री जयकुमार एस. पिल्लै (डीआईएन: 10041362), उप प्रबंध निदेशक को आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

5. सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक तय करना तथा इसके लिए निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाये तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :-

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139-142 एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, को इस संबंध में जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों, बैंक के संस्था बहिर्नियम एवं अंतर्नियम, इस समय लागू अन्य कानून एवं दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के सदस्यों की सहमति मेसर्स चोकसी एंड चोकसी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म रजि. नं. 101872W/W100045) और मेसर्स सुरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म रजि. नं. 004283S) को बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति करने के लिए प्रदान की जाए और एतद्द्वारा दी जाती है, जो इस वार्षिक महासभा के पूर्ण होने के बाद से वर्ष 2027 में संपन्न होने वाली तेईसवीं वार्षिक महासभा के समाप्त होने तक बने रहेंगे, यह नियुक्ति फर्मों द्वारा प्रति वर्ष पात्रता मानदंडों को पूरा करने और रिज़र्व बैंक से वार्षिक आधार पर अनुमोदन लेने, जो बोर्ड द्वारा अनुशंसित शर्तों तथा वार्षिक पारिश्रमिक/फीस के अधीन होगी, जो स्पष्टीकरण विवरण में दी गई है, जिसमें बोर्ड/लेखा परीक्षा समिति को नियुक्ति की शर्तों को बदलने एवं रूपांतरित करने, शेष अवधि के लिए पारिश्रमिक में संशोधन ऐसे ढंग और

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66553336 / 3147
E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **20th Annual General Meeting** of the Members of **IDBI Bank Limited** will be held on **Tuesday, July 23, 2024 at 11:00 a.m. exclusively through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)**, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2024 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the Audited Consolidated Financial Statements of the Bank and the report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2024;

2. To declare dividend on equity shares of the Bank for the financial year 2023-24;

3. To re-appoint Shri Raj Kumar (DIN: 06627311), LIC Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

4. To re-appoint Shri Jayakumar S. Pillai (DIN: 10041362), Deputy Managing Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

5. To appoint Statutory Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:-**

   "RESOLVED THAT pursuant to Sections 139-142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949 and circulars & guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI), Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guidelines applicable, if any, for the time being in force, the consent of members of the Bank be and is hereby accorded for appointment of M/s Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 101872W/W100045) and M/s Suri & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004283S), as Joint Statutory Auditors of the Bank, to hold office from the conclusion of this Annual General Meeting till the conclusion of the Twenty Third Annual General Meeting to be held in the year 2027, subject to the firms satisfying the eligibility norms each year and subject to approval of the RBI on an annual basis, on such terms & conditions and at an annual remuneration/ fees as recommended by the Board and given in the explanatory statement, with a power to the Board/Audit Committee to alter and vary the terms and conditions of appointment, revision in the remuneration during the remaining tenure,

उस सीमा तक करने जो सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ आपसी सहमति से तय हों, के अधिकार के साथ होगी.''

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति (यों) सहित) को उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के संबंध में या उससे प्रासंगिक ऐसे सभी आवश्यक या वांछनीय कार्य, मामले, विलेख और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक फॉर्म दाखिल करना और इस संबंध में अन्य सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करने सहित लेकिन इस तक ही सीमित नहीं है."

विशेष कारोबार

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो इसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा विधि के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक आशोधन(नों), या उनका पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है जिसमें बोर्ड द्वारा इस संकल्प के द्वारा दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित / गठन की जाने वाली कोई भी समिति (यां) शामिल मानी जायेंगी) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समूह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या आशोधन (नों) के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं:

1) एलआईसी से चालू खाता जमा या सावधि जमा ("जमाराशियां") सहित जमाराशियां (किसी भी रूप में और किसी भी नाम से) और उस पर ब्याज;

2) लागू कानूनों और बैंक की संबंधित नीतियों के अंतर्गत यथा अनुमत राशि और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि, आदि सहित) पर एलआईसी को किसी भी प्रकार का ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधाएं अथवा किसी भी प्रकार की निधि-आधारित सुविधाएं और/या गारंटियां, साख पत्र अथवा किसी भी प्रकार की गैर-निधि आधारित सुविधाएं मंजूर करना;

3) एलआईसी को बैंक की ऋण प्रतिभूतियां जारी करना, ब्याज का भुगतान और उसकी मोचन राशि;

4) बीमा योजनाओं और अन्य संबद्ध व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन;

5) एलआईसी के साथ सहमत प्रतिफल पर अथवा समय-समय पर हुई सहमति के अनुसार तथा / अथवा बैंक / इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निम्न कार्यों के लिए अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/ या संसाधनों/ सेवाओं का एलआईसी को/से अंतरण: (i) प्रतिभूतियों का क्रय/ विक्रय, शुल्क, प्रभार, राजस्व, कमीशन, प्रीमियम, ब्रोकरेज या कस्टडी/ डिपॉजिटरी सेवाओं, सलाहकारी

in such manner and to such extent as may be mutually agreed with the Statutory Auditors."

"RESOLVED FURTHER THAT Board (including the Audit Committee of the Board or any other person(s) authorized by the Board in this regard) be and is hereby authorized to do all such acts, matters, deeds and things necessary or desirable in connection with or incidental to give effect to the above resolution, including but not limited to filing of necessary forms with the Registrar of Companies and to comply with all other requirements in this regard."

SPECIAL BUSINESS

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with Life Insurance Corporation of India (LIC), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

1) Deposits (in any form and by whatever name called), including Current Account Deposits or Fixed Deposits ("Deposits") from LIC and interest thereon;

2) Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of Fund-based facilities, and/ or guarantees, letters of credit, or any other form of Non-Fund based facilities to LIC, sanctioned up to an amount and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank;

3) Issue of debt securities of the Bank to LIC, payment of interest and redemption amount thereof;

4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business;

5) Other transactions and / or arrangements with and/ or transfer of resources / services from/to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Bank/ its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, receive fees, charges, revenue, commission, premium, brokerage or any other income, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing

सेवाओं, बीमा सेवाओं, आस्ति प्रबंधन शुल्क, अनुबंध शुल्क जारी करने व भुगतान करने, साझा सेवाएं, संग्रहण और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियां जारी करने जैसे कार्यों से अन्य आय प्राप्त करने के लिए तथा/ अथवा (ii) उपगत व्यय, जो बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में प्रकट किये गये हैं.

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के अनुबंध/ व्यवस्था / लेनदेन, चाहे एकल रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में, ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के गत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों के अंतर्गत प्रयोज्य अन्य तात्विक सीमा, जिसमें जमा व उस पर ब्याज ऐसे लेनदेन मूल्य का पर्याप्त हिस्सा हों, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत आधार पर और बैंक के सामान्य व्यवसाय के तहत हो."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने और कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं."

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा विधि के अन्य किसी प्रासंगिक प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक आशोधन(नों), या उनका पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" के कहा गया है जिसमें बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (यां) शामिल हैं) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समूह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या आशोधन (नों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैंः

क. लागू कानूनों और बैंक की संबंधित नीतियों के अंतर्गत यथा अनुमत राशि और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि, आदि सहित) पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधाएं, या किसी अन्य प्रकार की निधि-आधारित सुविधाएं, और / या गारंटियां, साख पत्र, या किसी अन्य प्रकार की गैर-निधि आधारित सुविधाएं मंजूर करना.

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के अनुबंध/ व्यवस्था / लेनदेन, चाहे एकल रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में, ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के गत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों के अंतर्गत

and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities and / or (ii) incur expenses, as may be disclosed in the notes forming part of the consolidated financial statements of the Bank.

Notwithstanding the fact that such contracts/ arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time; wherein Deposits and interest thereon would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with LIC Housing Finance Limited being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

a. granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of fund-based facilities, and / or guarantees, letters of credit, or any other form of non-fund based facilities to or on behalf of LIC Housing Finance Limited, sanctioned up to such amounts and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank.

Notwithstanding the fact that such contracts/ arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may

प्रयोज्य अन्य तात्विक सीमा, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत आधार पर और बैंक के सामान्य व्यवसाय के तहत हो.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने और कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं."

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाये तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(iii) और (vii), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 यथा संशोधित, की धारा 35 बी के प्रासंगिक प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 यथा संशोधित के अधीन बनाए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पठित अधिनियम धारा 152, 160, 196, 197, 203 एवं अनुसूची V तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमनों के विनियमन 17 (1सी) एवं अन्य लागू प्रावधानों और अन्य कोई लागू कानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू उनका कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन(नों), परिवर्तन(नों) या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल है) के अनुसरण में तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और बैंक के निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसरण में, श्री सुमित फक्का (डीआईएनः 08259618) को बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, बैंक में डीएमडी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाये तथा एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिसका अनुमोदन रिज़र्व बैंक द्वारा 31 मई 2024 के अपने पत्र द्वारा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 1 जून 2024 को पारिश्रमिक सहित ऐसी शर्तों पर अनुमोदन प्रदान किया है जो एजीएम के नोटिस के इस संकल्प के व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट किया गया है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड या उसकी किसी समिति को पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक को बैंक में उनके कार्यकाल के दौरान संशोधित करने के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है जो रिज़र्व बैंक से इस संबंध में वार्षिक आधार पर प्राप्त अनुमोदन के अधीन होगा."

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लिखावटों को निष्पादित करने, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों के पास अपेक्षित फॉर्म या आवेदन दाखिल करने तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित समझा जाए, के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है.''

be applicable under law/ regulations from time to time; provided however, that the said contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts / arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Article 116(1)(iii) and (vii) of the Articles of Association of the Bank, relevant provisions of Section 35B and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949, as amended and the rules, guidelines and circulars as issued by the Reserve Bank of India (RBI) in this regard, from time to time, provisions of Sections 152, 160, 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013 as amended, read with the relevant rules made thereunder and Regulation 17(1C) and other applicable provisions of the SEBI Listing Regulations and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and pursuant to recommendation by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) and the Board of Directors of the Bank, approval of members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Sumit Phakka (DIN: 08259618) as Deputy Managing Director (DMD) of the Bank, liable to retire by rotation, for a period of three years commencing from the date of his taking charge as DMD of the Bank, as approved by the RBI vide their letter dated May 31, 2024 and by the Board of Directors of the Bank on June 01, 2024, on such terms and conditions including remuneration as set out in the explanatory statement to this resolution of the AGM Notice."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board or any Committee thereof, be and is hereby authorised to revise the remuneration payable to the Whole Time Directors, during their tenure in the Bank, subject to the approval received in this regard annually from the RBI."

"RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution."

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 150, 152, 160 और अनुसूची IV के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों (अधिनियम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता के विनियम) के विनियम 16, 17 और 25 के प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2)(ए) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों तथा इस संबंध में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी नियमों, दिशानिर्देशों एवं परिपत्रों और किसी भी अन्य लागू कानूनों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई सांविधिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), विचरण(णों) या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसार, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधान तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार, श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएन 06519925) जिनका बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पहला कार्यकाल 13 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है और जो अधिनियम की धारा 149(6) और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 16(1)(बी) के प्रावधानों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती हैं और जो पात्र होने के कारण बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं प्रस्ताव किया है, श्रीमती पी.वी. भारती को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाये और एतदद्वारा किया जाता है, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लगातार चार साल की दूसरी अवधि 14 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी.

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लिखावटों को निष्पादित करने, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों के पास अपेक्षित फॉर्म या आवेदन दाखिल करना तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करना, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित समझा जाए, के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है."

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई- 400005.

दिनांक: 24 जून 2024

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 150, 152, 160 & Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules made thereunder (the "Act"), the provisions of Regulations 16, 17 & 25 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), Section 10A(2)(a) and other relevant provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India (the "RBI"), in this regard, from time to time and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereto, for the time being in force), the provisions of the Articles of Association of IDBI Bank Limited (the "Bank") and pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors of the Bank, Smt. P.V. Bharathi (DIN 06519925) whose first term as an Independent Director of the Bank is due to expire on January 13, 2025 and who meets the criteria of independence as prescribed under the provisions of Section 149(6) of the Act and Regulation 16(1)(b) of the SEBI Listing Regulations and who being eligible has offered herself for re-appointment as an Independent Director of the Bank, the approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded for reappointment of Smt. P.V. Bharathi as an Independent Director of the Bank, not liable to retire by rotation, for second term of four consecutive years, with effect from January 14, 2025."

"RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 24, 2024

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 25 सितंबर 2023 के परिपत्र संख्या 09/2023 द्वारा जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिनांक 07 अक्तूबर 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 द्वारा जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित अनुसार, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में शामिल एवं सहभागिता कर सकते हैं. बैंक का पंजीकृत कार्यालय एजीएम के लिए स्थान माना जाएगा. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 21 जून, 2024 तक केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (बैंक का आरटीए)/नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास पंजीकृत हैं.

3. एमसीए द्वारा जारी दिनांक 25 सितंबर 2023 के परिपत्र के सं. 09/2023 के साथ पठित दिनांक 28 दिसंबर 2022 के परिपत्र सं.10/2022 के अनुसरण में, इस वार्षिक महासभा में सदस्यों को उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. तथापि, कॉरपोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने, सहभागिता करने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के हकदार हैं.

4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक आरंभ होने के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आएं पहले पाएं आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं) जिन्हें पहले आएं पहले पाएं आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है.

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.

6. कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए द्वारा जारी 05 मई 2022, 13 जनवरी 2021, 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 के साथ पठित 25 सितंबर 2023, 28 दिसम्बर 2022 के परिपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

7. एमसीए के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 25 सितंबर 2023 के परिपत्र सं. 09/2023 के अनुरूप वार्षिक महासभा के आयोजन का नोटिस बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर अपलोड किया गया है. वार्षिक महासभा का यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of each Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 are annexed herewith.

2. In terms of Circular no. 09/2023 dated September 25, 2023 read with all earlier Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 read with all earlier Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Registered office of the Bank shall be deemed to be the venue for AGM. Further the Notice of AGM along with Annual Report for FY 2023-24 is being sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with KFin Technologies Limited (RTA of the Bank)/ National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services India Limited (CDSL) as on Friday, June 21, 2024.

3. Pursuant to the Circular No 09/2023 dated September 25, 2023 read with Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, issued by the MCA, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint Authorised Representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate and cast their votes through e-Voting.

4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc) who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and the Circulars issued by the MCA dated September 25, 2023, December 28, 2022 read with May 05, 2022, January 13, 2021, April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

7. In line with the MCA Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The AGM Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange

इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है.

8. अनुच्छेद 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, इकाईः आईडीबीआई बैंक, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 [टोल फ्री नं. - 1800-309-4001, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66553147/3336/3062/2806, ईमेलः idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

10. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वार्षिक महासभा के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉगिन करने पर उपलब्ध रहेंगे.

11. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसारः

    i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

    ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

    iii) लॉगिन आईडी का ब्योरा इस नोटिस में नीचे दिया गया है.

12. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **बुधवार, 17 जुलाई 2024 से मंगलवार, 23 जुलाई 2024 तक (दोनों दिन शामिल)** बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्यों या हिताधिकारी स्वामियों के रूप में **मंगलवार 16 जुलाई 2024** (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार का निर्धारण करने हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में तय की गई है, को दर्ज होंगे.

13. 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, यदि आगामी वार्षिक महासभा में अनुमोदित होता है, के लिए सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने हेतु ''**रिकार्ड तिथि**'' **मंगलवार, 16 जुलाई 2024 है**.

14. **सेबी ने दिनांक 7 मई 2024 के अपने परिपत्र सं. सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / पीओडी-1 / पी / सीआईआर/2024/37 और दिनांक 10 जून 2024 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/81** के द्वारा अधिदेशित किया है कि 1 अप्रैल 2024 से भौतिक प्रतिभूति धारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा. ऐसा भुगतान पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा.

of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com .

8. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.

9. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Limited at their address at Selenium Tower B, Unit: IDBI Bank, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 [Toll Free No. 1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553147/3336/3062/2806, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

10. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

11. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

    i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

    ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

    iii) Details of login id are given below in this Notice.

12. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, July 17, 2024 to Tuesday, July 23, 2024 (both days inclusive)**. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **Tuesday, July 16, 2024** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

13. The "**Record Date**" fixed for determining entitlement of members to final dividend for the Financial Year ended March 31, 2024 if approved at ensuing AGM is **Tuesday, July 16, 2024**

14. **SEBI vide its Circular No: SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 and Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 dated June 10, 2024** has mandated that with effect from April 01, 2024, dividend to physical security holders shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after furnishing the PAN, contact details, bank account details and specimen signature.

15. तदनुसार सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित संबंधित आईएसआर फॉर्म के साथ समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत करके सेवा अनुरोध करें, जिसका प्रारूप बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक), अर्थात् बैंक के आरटीए www.kfintech.com पर उपलब्ध है. यह नोट किया जाये कि किसी भी सेवा अनुरोध पर तभी कार्रवाई की जायेगी जब फोलियो केवाईसी अनुपालक है.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **गुरुवार, 18 जुलाई 2024 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** शुरू होगी **और सोमवार, 22 जुलाई 2024 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों / हिताधारी स्वामियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख), अर्थात् मंगलवार,16 जुलाई 2024 को दर्ज होंगे, वे अपना वोट इलेक्ट्रोनिक पद्धति से दे सकेंगे. शेयरधारकों के मताधिकार निर्दिष्ट तारीख अर्थात् **मंगलवार, 16 जुलाई 2024** को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार मतदान करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार ''दो चरण'' शामिल हैं:

चरण 1 : एसएनडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर एक्सेस करना

अ) ई-वोटिंग के लिए लॉगिन पद्धति तथा डीमैट पद्धति में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा वर्चुअल बैठक में शामिल होना

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा के बारे में दिनांक 09 दिसंबर 2020 के सेबी के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरियों और डिपॉज़िटरी सहभागियों के पास खोले गए डीमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी गई है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें.

डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है:

15. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting supporting documents duly filled and signed with relevant ISR forms, the formats of which are available at Bank's website https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx and that of KFin Technologies Limited (KFintech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC compliant.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins on and from **Thursday, July 18, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, July 22, 2024 at 5.00 p.m (IST).** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. Tuesday, July 16, 2024, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being **Tuesday, July 16, 2024.**

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन की पद्धति
वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. मौजूदा **आईडीईएएस** यूजर व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट : https://eservices.nsdl.com पर जाएँ. ई-सेर्विसेस होम पेज पर **"Login"** के अंतर्गत **"Beneficial Owner"** आइकॉन पर क्लिक करें जो **"IDeAS"** सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए कहेगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप मूल्य योजित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत **"Access to e-Voting"** पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम या **"e-Voting service provider अर्थात् NSDL"** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 2. यदि यूजर आईडीईएएस ई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. Register Online for **IDeAS Portal** सिलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें. 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास सोलह अंकों का आपका खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपोजिटॉरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम या e-Voting service provider i.e. NSDL पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप **''NSDL Speede''** सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "**Beneficial Owner**" icon under "**Login**" which is available under '**IDeAS**' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for **IDeAS Portal**" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "**NSDL Speede**" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience..

	NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
वैयक्तिक शेयरधारक जो सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. मौजूदा यूजर जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/इजीएस्ट सुविधा का चयन किया है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध होगा. ईजी/इजीएस्ट पर लॉगिन करने हेतु उपयोगकर्ता से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जायें और लॉगिन आइकॉन तथा इसके बाद New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और अपना मौजूदा ईजी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें. 2. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद ईजी/ इजीएस्ट यूजर पात्र कंपनियों का ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वोटिंग जारी है. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, यूजर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा. इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें. 3. यदि यूजर ईजी/इजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. लॉगिन और New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें. 4. विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com के होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर डाल कर सीधे ई-वोटिंग पेज पर एक्सेस कर सकते हैं. सिस्टम, डीमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगी. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, यूजर ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाता सीधे सिस्टम में एक्सैस कर सकेंगे.

	NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Existing users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. . The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing Myeasi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Provider

वैयक्तिक शेयरधारक (जो डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) जो अपने डिपॉज़िटरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉज़िटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग संबंधी विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के डिपॉज़िटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हों वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें.

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए एनएसडीएल एवं सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरों के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए हेल्पडेस्क.

लॉगिन स्वरूप	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण evoting@nsdl.com पर अपना अनुरोध भेजकर अथवा 022-4886-7000 को कॉल कर एनएसडीएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपना अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 को कॉल कर सीडीएसएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.

आ) डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग/ वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें.
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो "Shareholders/ Member" खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important Note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022-4886-7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode..

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉगिन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् "Cast your vote electronically" की तरफ बढ़ सकते हैं.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं:

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक		आपका यूजर आईडी है :
क)	उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं.	8 करेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.
ख)	उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपका यूजर आईडी 12********** होगा.
ग)	उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	EVEN संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. वैयक्तिक शेयरधारकों से इतर शेयरधारकों के पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं :

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करने पर, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.

ग) **आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?**

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.

(ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आप नीचे उन शेयरधारकों संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं.

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो:

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below : :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical		Your User ID is:
a)	For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b)	For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c)	For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank. For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) **How to retrieve your 'initial password'?**

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''Forgot User Details/Password?'' पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).

ख) www.evoting.nsdl.com पर ''Physical User Reset Password?'' विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

ग) यदि उपर्युक्त दोनों विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलिओ संख्या, अपना पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए ''Agree to Terms and Conditions'' पर टिक करें.

8. अब आपको ''Login'' बटन पर क्लिक करना होगा.

9. ''Login'' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा.

चरण 2 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली से अपना वोट इलेक्ट्रोनिक रूप से करें और महासभा में शामिल हों:

एनएसडीएल ई-वोटिंग से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान और महासभा में शामिल कैसे हों?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के ''EVEN'' देख पाएंगे, जिनके आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग चक्र और महासभा सक्रिय स्थिति में हैं.

2. आप उस बैंक का ''EVEN'' चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा के दौरान मतदान करना चाहते हैं. वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको ''Join General Meeting'' के अंतर्गत ''VC/OAVM'' लिंक को क्लिक करना होगा.

3. अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.

4. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् Assent या Dissent (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा ''Submit'' पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर Confirm पर क्लिक करें.

5. पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा.

6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर "Print" विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

7. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षा है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, जिसे मतदान के लिए अधिकृत किया गया है, के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट में) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.com को भेजें. संस्थागत शेयरधारक अपने लॉगिन में "e-Voting" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "Upload Board Resolution/Authority/Letter" पर क्लिक करके निदेशक मंडल का संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकारी पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं.

2. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए

a) Click on "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".

3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders can also upload their Board Resolution/Power of Attorney/Authority Letter, etc by clicking on "Upload Board Resolution/ Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical

आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" के विकल्प पर जाना होगा.

3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल' देख सकते हैं अथवा 022 4886 7000 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.com पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल को अनुरोध मेल भेज सकते हैं.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ट और पृष्ठ भाग), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.
2. यदि शेयर डीमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी -सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी+ सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप चरण 1 (अ) में बताई पद्धति से लॉगिन करें अर्थात डीमैट पद्धति में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति का उपयोग करें.
3. विकल्प के तौर पर शेयरधारक/सदस्य ऊपर उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डीमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी गई है. इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा.

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए दिए गए अनुदेशों के समान है.
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं तथा जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के लिए एक्सेस संबंधी उपर्युक्तानुसार बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप बैंक के नाम के सामने "Join Meeting" मेनू

User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.com

---

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in . If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring User ID and Password by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-Voting system.

के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक देखेंगे. आपसे अनुरोध है कि "Join Meeting" मेनू के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुनः प्राप्त (रिट्रीव) कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्य लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लें.

3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे के लिए अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.

4. कृपया नोट करें कि मोबाइल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.

5. ऐसे सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, वे एनएसडीएल ई-वोटिंग प्लेटफ़ार्म पर लॉगिन करके और "Speaker Registration" टैब पर क्लिक करके तथा अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर और शहर का उल्लेख करते हुए गुरुवार, 18 जुलाई 2024 की सुबह 9.00 बजे से शनिवार, 20 जुलाई 2024 की शाम 5.00 बजे की अवधि तक अपना नाम वक्ता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं.

6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से सोमवार, 15 जुलाई 2024 की सुबह 9.00 बजे से 18 जुलाई 2024 की शाम 5.00 बजे तक ई-मेल idbiequity@idbi.co.in पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.

7. बैंक एजीएम के समुचित रूप से संचालन के लिए यथोचित समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार रखता है. जिन शेयरधारकों ने वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है, केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

8. एजीएम से पहले या इसके दौरान वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए सदस्यगण एनएसडीएल से 022-4886-7000 पर संपर्क करें अथवा श्री संजीव यादव को sanjeevy@nsdl.com पर मेल करें.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख के बाद अर्थात् 21 जून 2024 के बाद और 16 जुलाई 2024 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार के लिए निर्दिष्ट कट-ऑफ तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 21 जून 2024 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 16 जुलाई 2024 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 16 जुलाई 2024 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयर, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'Forgot User Details/ Password?' अथवा 'Physical User Reset Password?' विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join meeting" menu against Bank name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. Members who would like to express their views or ask questions during AGM will have to register themselves as Speaker by logging into NSDL's e-Voting platform and clicking on the tab "Speaker Registration" and mentioning their registered e-mail id, mobile number and city during the period starting from Thursday, July 18, 2024 at 9.00 a.m. up to Saturday, July 20, 2024 at 5.00 p.m.

6. Shareholders who would like to express their views/ have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account no/folio no, email id, mobile number at idbiequity@idbi.co.in from 9.00 a.m. on Monday, July 15, 2024 till 5.00 p.m. on July 18, 2024. The same will be replied by the Bank suitably.

7. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time as appropriate for smooth conduct of AGM. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 022-4886-7000 or email to Mr. Sanjeev Yadav at sanjeevy@nsdl.com

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., June 21, 2024 and up to July 16, 2024 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from June 21, 2024 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till July 16, 2024 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of July 16, 2024, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.com by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 16 जुलाई 2024 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग कैप के अधीन होगा.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें वार्षिक महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password?" अथवा "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 22 जुलाई 2024 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो 16 जुलाई 2024 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं है, वे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझेंगे.

  इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के आरटीए केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (इकाई-आईडीबीआई बैंक लि.), प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022-66553147/2806/3062/3336) अथवा एनएसडीएल टेलीफोन नं. - 022-4886-7000 पर संपर्क करें.

16. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न रहने की स्थिति में श्री एस.एन. विश्वनाथन को संवीक्षक नियुक्त किया है.

17. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 25 जुलाई 2024 को या उससे पहले बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे. ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लि. तथा बीएसई लि. को भी सूचित किए जाएंगे.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने अपना ई-मेल आईडी बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करवाया है, अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त विवरण भेजें ताकि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/पोस्टल बैलेट/ ई-वोटिंग में सहभागिता, वार्षिक रिपोर्ट और/या अन्य सूचनाएँ प्राप्त कर सकें.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of July 16, 2024 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to "Forgot User Details/ Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Monday, July 22, 2024 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on July 16, 2024, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice for information only.

  For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Limited (Unit-IDBI Bank Ltd.), RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 [Toll Free No.1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005 (022- 66553147/2806/3062/3336) or NSDL - Tel. No. 022-4886-7000

16. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Mr. S. N. Viswanathan, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

17. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before July 25, 2024 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings/Postal Ballot, participate in e-Voting, receive Annual Report and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआर एसडी/डीओपी1/ सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश के भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने संबंधित फोलियो/ डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करें. दिनांक 07 मई 2024 के सेबी मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/ पी/सीआईआर/2024/37 और दिनांक 10 जून 2024 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/81 के अनुसार पैन, केवाईसी विवरण (ई-मेल, मोबाइल नंबर, नमूना हस्ताक्षर और बैंक खाता विवरण सहित) और भौतिक फोलियो के संबंध में नामांकन का चयन प्रस्तुत करना अनिवार्य है. कृपया यह सुनिश्चित करें कि ये विवरण पंजीयक के पास अद्यतित हैं ताकि निर्बाध सेवा अनुरोध और बैंक खाते में लाभांश क्रेडिट होने का लाभ उठाया जा सके क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से भौतिक वारंट जारी करके भौतिक शेयरधारकों को किसी भी प्रकार के लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा.

03. लाभांश पर टीडीएसः वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित और के साथ पठित आय कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है. इसीलिए बैंक को लागू दरों पर लाभांश आय के वितरण पर स्त्रोत पर कर (टीडीएस) कटौती की आवश्यकता होती है. वैध पैन की उपलब्धता, आवासीय स्थिति, शेयरधारक की श्रेणी आदि के आधार पर टीडीएस दर भिन्न हो सकता है और यह बैंक द्वारा प्राप्त अपेक्षित दस्तावेजों/ घोषणाओं के प्रावधान के अधीन है. कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस का अनुपालन करने/ कर प्रावधानों को विथहोल्ड करने के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर में रिकार्ड तारीख को उपलब्ध इन विवरणों पर बैंक द्वारा भरोसा किया जाएगा. विभिन्न श्रेणियों के लिए टीडीएस की दर/ विथहोल्ड कर प्रावधान, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ छूट की प्रयोज्यता (यदि कोई हो) की विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/ पर होस्ट की गई है.

04. आपके मामले में लागू अपेक्षित दस्तावेज (जैसे फॉर्म 15जी/15एच, टीआरसी, फॉर्म 10एफ, स्व-सत्यापित घोषणा, आदि) 10 जुलाई 2024 को या उससे पहले https://ris.kfintech.com/form15/ पर अपलोड किए जा सकते हैं. लागू कर की कटौती के लिए उपर्युक्त कट-ऑफ तिथि के बाद प्राप्त किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा. जहां दस्तावेजों की प्रतियां अपेक्षित हैं, ऐसी प्रतियां शेयरधारक या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-सत्यापित की जानी चाहिए.

05. भौतिक शेयरों से संबंधित सभी जोखिमों को दूर करने और डीमैट धारिता के विविध लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयरों को इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित करें. शेयरधारक अपने नजदीकी आईडीबीआई शाखा में डीमैट खाता खोल सकते हैं और इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित शेयरों का लाभ उठा सकते हैं.

वार्षिक महासभा की सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

1. मेसर्स जी.डी. आप्टे एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 100515डब्ल्यू) और मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 0004532एस) को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक तीन वर्षों के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था. वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार("रिजर्व बैंक दिशानिर्देश"), सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति 3 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए की जाएगी और इन दिशानिर्देशों में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने

02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, in order to facilitate payment of dividend through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) / RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., we request you to update your bank account details in your respective folio/demat account. Pursuant to the SEBI master circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 & Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 dated June 10, 2024, it is mandatory to furnish PAN, KYC Details (including email, mobile number, specimen signature and bank account details) in respect of physical folios. Kindly ensure these details are updated with registrar to avail uninterrupted service request and dividend credit in bank account as no dividend will be paid to physical shareholders by way of issuance of physical warrant with effect from 1st April 2024.

03. TDS on Dividend: In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("the Act"), as amended by and read with provisions of the Finance Act, 2020, the dividends declared and paid by a Bank are taxable in the hands of the shareholders. Therefore, the Bank is required to deduct Tax at Source (TDS) on the distribution of dividend income at applicable rates. The TDS rate may vary depending upon the availability of valid PAN, residential status, category of shareholder, etc. and is subject to provision of requisite documents / declarations received by the Bank. Please note that these details as available on record date in the Register of Members will be relied upon by the Bank, for the purpose of complying with the applicable TDS / withholding tax provisions. The detailed information on the rate of TDS/withholding tax provisions, applicability of exemption (if any) along with required documents for various category is hosted on Bank website at https://www.idbibank.in/

04 The requisite documents (such as Form 15G/15H, TRC, Form 10F, Self-Attested Declaration, etc.) as applicable in your case can be uploaded at https://ris.kfintech.com/form15/ on or before July 10, 2024. Any communication received after the above mentioned cut-off date will not be considered, for deduction of applicable tax. Where copies of the documents are required, such copies should be self-attested by the shareholder or its authorized signatory.

05 To eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of demat holding, shareholders are requested to dematerialize the shares held by them in physical form. Shareholders can open demat account with the nearest IDBI branch and avail the benefits of holding shares in electronic form.

Explanatory Statements in respect of items of the AGM Notice

Explainatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice.

1. M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 100515W) and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 0004532S) were appointed as the Joint Statutory Auditors of the Bank for three years w.e.f. FY 2021-22 upto FY 2023-24. As per the RBI Guidelines for Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs)/Statutory Auditors (SAs) of Commercial Banks (excluding RRBs), UCBs and NBFCs (including HFCs) ("RBI Guidelines"), the Statutory Auditors shall be appointed for a continuous term of 3 years and shall be reappointed annually for the succeeding two years subject to them continuing to satisfy eligibility norms stated in

के अधीन उन्हें अगले दो वर्षों के लिए वार्षिक तौर पर पुनः नियुक्त किया जाएगा. दिशानिर्देशों के अनुसार, मेसर्स जी.डी. आप्टे एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 100515डब्ल्यू) और मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 0004532एस) ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए बैंक को रिज़र्व बैंक को एक नया आवेदन करना है.

तदनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने मेसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी (फर्म पंजीकरण सं. 101872डब्ल्यू / डब्ल्यू100045) और मेसर्स सूरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 004283एस) को बीसवीं वार्षिक महासभा के समापन से लेकर बैंक की वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली तेईसवीं वार्षिक महासभा के समापन तक 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया और निदेशक मंडल को सिफारिश की, जो इस कार्यकाल के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जिसमें निदेशक मंडल/ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिज़र्व बैंक और / किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए आवश्यक कारण की शर्तों सहित नियुक्ति की शर्तों और निबंधनों में परिवर्तन और अंतर करने की शक्ति होगी.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में मेसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी (फर्म पंजीकरण सं. 101872डब्ल्यू / डब्ल्यू100045) और मेसर्स सूरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 004283एस) ने संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त होने के लिए अपनी पात्रता की पुष्टि की है. इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने 22 अप्रैल 2024 के अपने पत्र के माध्यम से मेसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी (फर्म पंजीकरण सं. 101872W/W100045) और मेसर्स सूरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 004283S) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक का संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है.

बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक मेसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी और मेसर्स सूरी एंड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 262.50 लाख की समग्र लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान और ₹ 25.20 लाख तक के फुटकर खर्चों की प्रतिपूर्ति की जायेगी, साथ ही बोर्ड/बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के बीच समग्र लेखा परीक्षा शुल्क आवंटित करने का प्राधिकार होगा, जैसा कि बैंक और उक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के बीच उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के आधार पर और इसके अतिरिक्त फुटकर खर्च, परिव्यय और कर, जो भी लागू हों आपसी सहमति से तय किया जायेगा.

निदेशक मंडल एजीएम की सूचना की मद सं. 5 में दिया गया सामान्य संकल्प पारित करने की सिफारिश करता है. बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इस संकल्प को पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

2. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संबंधित पक्षों से किए जाने वाले संव्यवहारों के मामले शेयरधारकों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त हैं. तथापि यदि ऐसे संव्यवहार तात्विक प्रकृति के हों तो उनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(4) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार साधारण संकल्प के रूप में शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा, भले

these guidelines. In terms of the guidelines, M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 100515W and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 0004532S) have completed three years & thus Bank is required to make a fresh application to the RBI for appointment of Statutory Auditors of the Bank for FY 2024-25.

Accordingly, the Audit Committee of the Board considered and recommended to the Board of Directors, the appointment of M/s Chokshi & Chokshi LLP (Firm Regn. No. 101872W/W100045) and M/s Suri & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004283S) as the Joint Statutory Auditors of the Bank, to hold office for a period of 3 (Three) years from the conclusion of Twentieth Annual General Meeting till the conclusion of the Twenty Third Annual General Meeting of the Bank to be held in year 2027, subject to the approval of the RBI for each year during this tenure, with power to the Board/ Audit Committee of the Board, thereof, to alter and vary the terms and conditions of appointment, etc., including by reason of necessity on account of conditions as may be stipulated by the RBI and / or any other authority.

M/s Chokshi & Chokshi LLP (Firm Regn. No. 101872W/W100045) and M/s Suri & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004283S) have confirmed their eligibility to be appointed as Joint Statutory Auditors in terms of Section 141 of the Companies Act, 2013 and applicable Rules and the guidelines issued by the RBI. Further, the RBI vide its letter dated April 22, 2024 has approved the appointment of M/s Chokshi & Chokshi LLP (Firm Regn. No. 101872W/W100045) and M/s Suri & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004283S) as Joint Statutory Auditors of the Bank for FY 2024-25.

M/s Chokshi & Chokshi LLP and M/s Suri & Co., Joint Statutory Auditors of the Bank, shall be paid overall Audit fees of ₹ 262.50 lakh plus reimbursement of out of pocket expenses upto ₹ 25.20 lakh for FY 2024-25, with authority to the Board/ Audit Committee of the Board, to allocate the overall audit fees between the Joint Statutory Auditors, as may be mutually agreed between the Bank and the said Joint Statutory Auditors, depending upon their respective scope of work., and additionally out of pocket expenses, outlays and taxes as applicable.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 5 of the AGM Notice. None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, are whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise in the passing of this resolution

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

As per the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), transactions with related parties which are on an arm's length basis and in the ordinary course of business, are exempted from the obligation of obtaining prior approval of shareholders. However, such transactions, if material, require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course

ही ऐसे संव्यवहार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों.

1 अप्रैल 2022 से सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(1) के परंतुक के साथ पठित विनियम 2(1) के खंड (जेडसी) में किए गए संशोधनों के अनुसार एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबद्ध पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या बाध्यताओं से जुड़े लेनदेनों को "संबद्ध पक्ष लेनदेन" समझा जाएगा तथा पृथक रूप से किए गए लेनदेन अथवा वित्तीय वर्ष में हुए पिछले लेनदेनों को मिलाकर लेनदेन की राशि ₹ 1000 करोड़ अथवा सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उस सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होने पर उस लेनदेन को "तात्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" माना जाएगा.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एलआईसी के साथ किए जाने वाले तात्विक आरपीटी के लिए 13 जुलाई 2023 को संपन्न 19वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था, जो 20वीं वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा. इसलिए, बैंक को तात्विक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है.

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में बैंक की संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसी से स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यहारों की शृंखला के रूप में हों अथवा अन्य रूप में हों) करता है. एलआईसी के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है:

जमाराशियाँ स्वीकार करना

बैंक को जनता से मांग या अन्यथा रूप में प्रतिदेय जमाराशियां स्वीकार करना होता है. एलआईसी बैंक के पास चालू खाता जमाराशियां परिचालित करती है जिसके लिए सभी ग्राहकों के लिए लागू जैसी शर्तें हैं. एक बार खाता खोलने के बाद बैंक ग्राहक के खाते में आने वाली राशियों को विधिक रूप से नहीं रोक सकता और यह पूर्णतः ग्राहक के विवेक पर होता है कि वह जमा के रूप में कितनी राशि रखना चाहता है. अतः लेनदेन का मूल्य निर्धारणयोग्य नहीं है. लेनदेन की अवधि एलआईसी द्वारा चुनी गई अवधि पर निर्भर करता है और बैंक द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता. बैंकिंग प्रभार बैंक द्वारा बैंक की नीतियों और रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार सभी ग्राहकों के लिए एक समान लगाये जाते हैं. जमाएं और बैंकिंग प्रभार सामान्य बैंकिंग कार्यकलाप के अनुसार होते हैं, लेनदेन की राशि एलआईसी पर निर्भर करती है और बैंक इसका निर्धारण नहीं कर सकता. जमाराशियां स्वीकार करना और बैंक प्रभार प्राप्त करना सामान्य बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाना है और यह बैंक के हित में है.

निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में एलआईसी सहित सभी ग्राहकों को समान प्रक्रियाओं के आधार पर निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. सुविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनुक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसी की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है. मंजूरी के लिए सुविधाओं पर विचार रिज़र्व बैंक मानदंडों के अंतर्गत अनुमत और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसी शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, कार्यकाल, आदि सहित) पर किया जाता है, जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू होती हैं. लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग होते हैं. मूल्य बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर करता है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. यह रिज़र्व बैंक और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और

of business, as per the requirements of the provisions of Regulation 23(4) of the SEBI Listing Regulations.

As per the amendments to clause (zc) of Regulation 2(1) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, which is effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand will be considered as “related party transactions”, and as “material related party transactions”, if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of above, the Bank obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC at the Banks' 19th Annual General Meeting (AGM) held on July 13, 2023 which will be valid till the 20th AGM. Thus the Bank requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LIC being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its business requirement. Details of the proposed transactions with LIC are as follows:

Acceptance of Deposits

The Bank is required to accept deposits from public, repayable on demand or otherwise. LIC operates current account deposits with the Bank on the same terms as applicable to all customers. Once an account is opened, a bank cannot legally stop amounts coming into the customer’s account and it is entirely up to the discretion of the customer how much amount it seeks to place into the deposit. Hence, the value of the transaction is not determinable. The tenure of the transaction depends on period opted for by LIC and cannot be ascertained by the Bank. Banking charges are levied by the Bank uniformly on all customers in accordance with Bank’s policies and RBI norms. Given that deposits or banking charges arise out of normal banking activities, the value of the transaction depends on LIC and cannot be ascertained by the Bank. Acceptance of deposits and receipt of banking charges are in furtherance of the normal banking business and are in the interest of the Bank.

Funded and Non-funded facilities

Funded and Non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including to LIC. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LIC as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure, etc.) as may be permitted under applicable RBI norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all the customers. The transaction forms part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of

समूह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंतः-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन होता है. सम्बद्ध पक्षों के लिए इन सुविधाओं का मूल्य निर्धारण प्रचलित बाज़ार दर पर आधारित होता है अथवा बाह्य बैंचमार्क से जुड़ा होता है, जिसे सभी ग्राहकों (संबंधित पक्षों सहित) को समान रूप से ऑफर किया जाता है और यह स्वतंत्र संव्यवहार पर आधारित होता है. सुविधाओं का कार्यकाल ग्राहकों की आवश्यकता (संबंधित/असंबंधित पक्ष) पर निर्भर करता है जो विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन होता है तथा जो सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होता है. लेन-देन बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को अग्रसित करने के लिए होते हैं और बैंक द्वारा सामान्य अनुक्रम (ऋण मूल्यांकन, मंजूरी और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) के अनुसार निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए ये बैंक के हित में हैं.

ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन

बैंक अपने व्यवसाय के लिए धन जुटाने के लिए आमतौर पर निवेशकों (एलआईसी सहित) द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी ऋण प्रतिभूतियां जारी कर सकता है, जिसके प्रतिफलस्वरूप सभी निवेशकों पर समान रूप से प्रयोज्य क़ानूनों और प्रस्ताव पत्र के अनुसार इच्छुक निवेशकों को प्रतिभूतियां आबंटित कर दी जाती हैं तथा ऐसी प्रतिभूतियों पर सभी निवेशकों को एक जैसे ब्याज का भुगतान किया जाता है. प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों के लिए एलआईसी की बोली के अधीन है. लेन-देन की अवधि बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी जो लागू कानूनों के अनुपालन में होगी. यह बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए है और इसलिए बैंक के हित में है.

बीमा योजनाओं और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन

बैंक ने आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री के लिए एलआईसी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है. विनियामक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईआरडीएआई को उचित अनुमोदन/सूचना दी गई है. बैंक आईआरडीएआई द्वारा अनुमत दरों के अनुसार बीमा योजनाओं के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन अर्जित करता है. एलआईसी के साथ समझौता, अनुबंध की शर्तों और विनियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नवीनीकरण के अधीन है. अर्जित शुल्क का स्तर व्यवसाय की मात्रा, बैंक की रणनीति, विनियामक दिशानिर्देश और अन्य बाहरी कारक जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है. इस प्रकार, लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. बैंक अपनी व्यावसायिक रणनीति के एक भाग के रूप में एलआईसी की बीमा योजनाएं ऑफर करता है और समझौते की शर्तों के अनुसार शुल्क/ कमीशन अर्जित करता है और इसलिए यह बैंक के हित में है.

अन्य लेनदेन

मुद्रा बाज़ार लेनदेन में अन्य सामान्य बाज़ार सहभागियों/प्रतिपक्षकारों के समान बाज़ार आधारित लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों/कॉरपोरेट बांडों और मुद्रा बाज़ार लिखतों की द्वितीयक बाज़ार में खरीद/बिक्री, बांडों में निवेश, कोई अन्य आय/व्यय अथवा बैंक के कारोबार के सामान्य क्रम में निक्षेपागार सहभागी, कस्टोडियन सेवाओं, निवेश बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव लेनदेनों आदि के अनुसरण में की गई अन्य गतिविधियां.

बैंक अपने नियमित कारोबार में अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण

the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The pricing of these facilities to related parties is based on prevailing market rate or linked to external benchmark which is uniformly offered to all customers (including related parties) and it is based on arm's length basis. Tenure of facilities is dependent on customers' requirement (related/ unrelated parties) subject to regulatory guidelines and Bank's internal policies which are uniformly applicable to all the customers. The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures as followed by the Bank in ordinary course (including credit appraisal, sanction and approval process) and therefore, in the interest of the Bank.

Issuance of debt securities

The Bank may issue debt securities like Non-Convertible Debentures, for raising funds for business of the Bank, on platforms commonly accessed by investors (including LIC), pursuant to which the securities are allotted to interested investors in accordance with the provisions of the applicable laws and offer letter; and payment of interest on such securities uniformly to all investors. The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities proposed to be issued by the Bank. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the Bank that will be in compliance of the applicable laws. This is in furtherance of the business activities of the Bank and therefore, is in the interest of the Bank.

Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

The Bank has entered into Corporate Agency Agreement with LIC for sale of Life Insurance Policies through IDBI Bank Branches. Due approval/intimation to IRDAI has been done as per the process laid down by the Regulator. The Bank earns fees/commission for distribution of insurance products as per the rates allowed by IRDAI. The agreement with LIC is subject to renewal as per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The level of fees earned is dependent on various factors i.e. business volume, Bank's strategy, regulatory guidelines and other external factors. Thus, value of transactions cannot be determined. The Bank offers insurance products of LIC as a part of its business strategy and earns fees/ commission as per the terms of agreement and therefore it is in the interest of the Bank.

Other transactions

Market based transactions in the manner similar with other general market participants / counterparties in Money market transactions, Secondary Market Buying / Selling of Govt. Securities / Corporate Bonds and money market instruments, investments in Bonds, any other income/ expense or other activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services, investment banking, foreign exchange and derivative transactions, etc, in the ordinary course of Bank's business.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake

नहीं लेता है. उपरोक्त लेनदेन में संबंधित पक्ष के सरोकार /हित की प्रकृति वित्तीय है.

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/ पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में होते हैं.

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऊपर बताए गए लेनदेन सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत एलआईसी के लिए "महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन" की सीमा अर्थात् ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% (इनमें से जो भी कम हो) से अधिक हो सकते हैं. सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबंधित पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में दर्ज किए जाएंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक के निदेशक मंडल ने एलआईसी के साथ बैंक द्वारा प्रस्तावित सम्बद्ध पक्ष लेनदेन, संकल्प और व्याख्यात्मक विवरण में वर्णित सहित, के लिए अनुमोदन प्रदान किया है और यह भी नोट किया गया है कि एलआईसी के साथ उक्त लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होंगे.

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 6 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक (एलआईसी के नामिती निदेशक को छोड़कर) या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं है.

सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सम्बद्ध पक्ष संलग्न वार्षिक महासभा की सूचना की मद संख्या 6 के सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे, भले ही वे विशेष लेनदेन के लिए संबंधित पक्ष हों अथवा नहीं.

3. सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस लिमिटेड (एलआईसीएचएफ़एल) के बैंक के संबंधित पक्ष होने के नाते स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यहारों की श्रृंखला के रूप में हों अथवा अन्य रूप में हों) करता है. एलआईसीएचएफ़एल के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है:

निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में एलआईसीएचएफ़एल सहित सभी ग्राहकों को समान प्रक्रियाओं के आधार पर निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. सुविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनुक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसीएचएफ़एल की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है. मंजूरी के लिए सुविधाओं पर विचार रिज़र्व बैंक मानदंडों के अंतर्गत अनुमत और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसी शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, कार्यकाल, आदि सहित) पर किया

any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above at any time during the financial year may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower, for LIC. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors of the Bank has granted approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Bank with LIC including as stated in the resolution and explanatory statement and has also noted that the said transactions with LIC would be on an arm's length basis and in the ordinary course of the Bank's business.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.6 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than LIC Nominee Directors) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Members may please note that in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 6 of the accompanying AGM Notice, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 7 of the Notice

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LIC Housing Finance Ltd (LICHFL) being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its business requirement. Details of the proposed transactions with LICHFL are as follows:

Funded and Non-funded facilities

Funded and Non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including to LICHFL. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LICHFL as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure, etc.) as may be permitted under applicable RBI norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all

जाता है, जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू होती हैं. लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग होते हैं. मूल्य बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर करता है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. यह रिज़र्व बैंक और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंतः-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन होता है. सम्बद्ध पक्षों के लिए इन सुविधाओं का मूल्य निर्धारण प्रचलित बाज़ार दर पर आधारित होता है अथवा बाह्य बैंचमार्क से जुड़ा होता है, जिसे सभी ग्राहकों (संबंधित पक्षों सहित) को समान रूप से ऑफर किया जाता है और यह स्वतंत्र संव्यवहार पर आधारित होता है. सुविधाओं का कार्यकाल ग्राहकों की आवश्यकता (संबंधित/असंबंधित पक्ष) पर निर्भर करता है जो नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन होता है तथा जो सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होता है. लेन-देन बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को अग्रसित करने के लिए होते हैं और बैंक द्वारा सामान्य अनुक्रम (ऋण मूल्यांकन, मंजूरी और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) के अनुसार निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए ये बैंक के हित में हैं.

बैंक अपने नियमित कारोबार में अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेता है. उपरोक्त लेनदेन में संबंधित पक्ष के सरोकार /हित की प्रकृति वित्तीय है.

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/ पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में होते हैं.

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऊपर बताए गए लेनदेन सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत एलआईसीएचएफएल के लिए "महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन" की सीमा अर्थात् ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% (इनमें से जो भी कम हो) से अधिक हो सकते हैं. सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबंधित पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में दर्ज किए जाएंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक के निदेशक मंडल ने एलआईसीएचएफएल के साथ बैंक द्वारा प्रस्तावित सम्बद्ध पक्ष लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है और यह भी नोट किया गया है कि एलआईसीएचएफएल के साथ उक्त लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होंगे.

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 7 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं है.

सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सम्बद्ध पक्ष संलग्न वार्षिक महासभा की सूचना की मद संख्या 7 के सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे, भले ही वे विशेष लेनदेन के लिए संबंधित पक्ष हों अथवा नहीं.

the customers. The transaction forms part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The pricing of these facilities to related parties is based on prevailing market rate or linked to external benchmark which is uniformly offered to all customers (including related parties) and it is based on arm's length basis. Tenure of facilities is dependent on customers' requirement (related/ unrelated parties) subject to regulatory guidelines and Bank's internal policies which are uniformly applicable to all the customers. The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures as followed by the Bank in ordinary course (including credit appraisal, sanction and approval process) and therefore, in the interest of the Bank.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

The aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above at any time during the financial year may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower, for LICHFL. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors of the Bank has granted approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Bank with LICHFL and has also noted that the said transactions with LICHFL would be on an arm's length basis and in the ordinary course of the Bank's business.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.7 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Members may please note that in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 7 of the accompanying AGM Notice, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

4. **सूचना की मद सं. 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण**

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने 28 फरवरी 2024 को संपन्न अपनी बैठक में श्री सुमित फक्का को बैंक के डीएमडी के रूप में तीन साल की अवधि के लिए, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृति के लिए दायी होंगे, की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया और बोर्ड को उनकी मंजूरी के लिए अनुशंसा की. एनआरसी की अनुशंसा के अनुसरण में बोर्ड ने 28 फरवरी 2024 को संपन्न अपनी बैठक में तीन साल की अवधि के लिए श्री फक्का की नियुक्ति के प्रस्ताव की पुष्टि की और इस संबंध में अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को भेजने की अनुशंसा की. इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2024 के अपने पत्र के माध्यम से कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में श्री फक्का की नियुक्ति को अनुमोदित किया और निदेशक मंडल ने 01 जून 2024 को डीएमडी के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए श्री सुमित फक्का की नियुक्ति को, बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, मंजूरी प्रदान की. श्री फक्का ने सूचित किया है कि वे 10 जुलाई 2024 तक बैंक में कार्यभार ग्रहण करेंगे. इसके अतिरिक्त, श्री सुमित फक्का के डीएमडी के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को विधिवत सूचित किया जाएगा.

रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित श्री फक्का का कुल नियत वेतन ₹ 90,50,048/- है जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी किराया रियायत, मनोरंजन व्यय, मुफ्त सुसज्जित मकान/मकान किराया भत्ता और अन्य परिलब्धियां शामिल हैं. वर्तमान में, बैंक के प्रदर्शन के आधार पर और रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन, डीएमडी को नियत वेतन के 150% की दर से परिवर्ती वेतन देय होगा. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए श्री सुमित फक्का के साथ-साथ बैंक के अन्य डब्ल्यूटीडी का पारिश्रमिक एनआरसी और आईडीबीआई बैंक के बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर वार्षिक रूप से रिज़र्व बैंक से इस संबंध में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार होगा. इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन हर साल डब्ल्यूटीडी के पारिश्रमिक को मंजूरी देने के लिए बोर्ड/समिति को प्राधिकृत करें.

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमनों के तहत अपेक्षित विवरण इस सूचना के अनुबंध के रूप में प्रदान किया गया है.

श्री फक्का का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री सुमित फक्का जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से बी. कॉम एवं वित्त में एमबीए हैं और सीएआईआईबी हैं. वे एक वरिष्ठ बैंकिंग प्रोफेशनल हैं, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में शाखा बैंकिंग और लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण वितरण के पर्याप्त एक्सपोजर सहित विभिन्न क्षमताओं और भौगोलिक क्षेत्रों जैसे - नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, टोरंटो में कार्य करने का लगभग 30 वर्षों का अनुभव है. वे वर्तमान में एसबीआई, नई दिल्ली में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं. वे इससे पहले वाणिज्यिक ग्राहक समूह (सीसीजी), नई दिल्ली में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, जहां वे मुख्य रूप से मध्य-कॉरपोरेट अग्रिमों के कारोबार विकास और पोर्टफोलियो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे. वे ₹ 66,000 करोड़ की एफबी सुविधाओं और लगभग ₹ 11,000 करोड़ की एनएफबी सुविधाओं के पोर्टफोलियो को संभाल रहे थे. वे एसबीआई ऋण समिति के सदस्य भी थे और ₹ 155 करोड़ तक के एक्सपोजर वाले विभिन्न सीसीजी शाखाओं से प्राप्त कॉरपोरेट ऋण प्रस्तावों की मंजूरी के लिए जिम्मेदार थे. पहले वे चंडीगढ़ में नेटवर्क 1 के महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां उन्होंने पंजाब राज्य में फैले 3 प्रशासनिक और 18 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ एसबीआई शाखाओं (₹ 1.71 लाख करोड़ के कुल तुलन-पत्र वाली 865 शाखाओं) के सबसे बड़े खुदरा नेटवर्क के प्रमुख थे. उन्होंने मुंबई में कॉरपोरेट लेखा समूहों में भी विभिन्न स्तरों पर काम किया है और शाखा बैंकिंग, खुदरा संसाधनों के संग्रहण के साथ-साथ

4. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 8 of the Notice**

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) at its meeting held on February 28, 2024 considered and recommended the proposal for appointment of Shri Sumit Phakka as the DMD of the Bank for a period of three years, liable to retire by rotation, to the Board for their approval. Pursuant to the recommendation of the NRC, Board at its meeting held on February 28, 2024 ratified the proposal for appointment of Shri Phakka for a period of three years and recommended for submission to the RBI for their approval in this regard. Further, RBI vide their letter dated May 31, 2024 approved the appointment of Shri Phakka as DMD for a period of three years w.e.f. the date of him taking charge as DMD and the Board of Directors on June 01, 2024 approved the appointment of Shri Sumit Phakka for a period of three years w.e.f. the date of him taking charge as DMD, subject to approval of the members of the Bank. Shri Phakka has informed that he would be joining the Bank by July 10, 2024. Further, the Stock Exchanges will be duly informed about the date of taking charge of Shri Sumit Phakka as DMD.

The total fixed pay for Shri Phakka as approved by the RBI is ₹ 90,50,048/- which includes Provident Fund, Gratuity, Leave Fare Concession, Entertainment Expenses, Free furnished house/ House rent allowances and any other perquisites. Presently, variable pay at the rate of 150% of fixed pay would be payable to DMDs, based on the performance of the Bank and subject to approval of the RBI. The remuneration of Sumit Phakka as well as other WTDs of the Bank, for each financial year would be as per approval received in this regard from RBI annually based on the recommendation of NRC and Board of IDBI Bank. Hence the members are requested to authorize Board/ Committee to approve remuneration of WTDs every year subject to approval of RBI.

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations has been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Phakka is provided hereinafter:

Shri Sumit Phakka is B.com & MBA in Finance from Jiwaji University, Gwalior and CAIIB. He is a senior banking professional with almost 30 years of experience in State Bank of India (SBI) in various capacities and geographies, viz., New Delhi, Chandigarh, Mumbai, Toronto with substantial exposure to branch banking and credit delivery to small and medium enterprises. He is presently working as Chief General Manager in SBI, New Delhi. He was earlier posted as GM Commercial Clients Group (CCG), New Delhi, wherein he was primarily responsible for business growth of mid-corporate advances and ensuring the portfolio quality. He was handling portfolio size of ₹ 66,000 crore of FB facilities and about ₹ 11,000 crore of NFB facilities. He was also the member of credit committee SBI and responsible for sanction of corporate credit proposals emanating from various CCG branches with exposure upto ₹ 155 crore. He has earlier worked as General Manager of Network 1 at Chandigarh where he has headed the largest retail network of SBI branches (865 branches with total balance sheet size of ₹ 1.71 lakh crore) with 3 administrative and 18 regional offices spread across the state of Punjab. He has also worked in various scales in Corporate Accounts Group in Mumbai and is experienced in branch banking, mobilization of retail resources as well

खुदरा, कृषि, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में ऋण वितरण, वसूली आदि का अनुभव है. वे पांच वर्षों तक एसबीआई के कनाडा परिचालनों के उपाध्यक्ष (क्रेडिट) रहे, जहां उन्होंने कनाडा में बैंक के कॉरपोरेट ऋण पोर्टफोलियो का प्रबंधन किया, जिसमें द्विपक्षीय सौदों और सिंडिकेट अग्रिमों के साथ-साथ भारत आधारित सौदों सहित नए सौदों के लिए विपणन और ऋण गुणवत्ता बनाए रखना शामिल था.

निदेशक मंडल सूचना में निहित मद सं. 8 के सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया गया है कि बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री सुमित फक्का के अलावा) या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, प्रस्ताव पारित करने में वित्तीय या अन्यथा रूप में संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री सुमित फक्का का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या बैंक के किसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

5. सूचना की मद सं. 9 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएनः 06519925) को 14 जनवरी 2021 से 4 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. वह 13 जनवरी 2025 को अपने 4 साल का वर्तमान कार्यकाल पूरा कर रही हैं. बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116(1) (vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार, श्रीमती पी.वी. भारती लगातार 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं. श्रीमती पी.वी. भारती ने स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए ऑफर किया है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैरा VIII (2) के प्रावधानों के अनुसार और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किए गए स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर, श्रीमती पी.वी. भारती को 14 जनवरी 2025 से लगातार 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने और इस एजीएम के नोटिस की मद सं. 9 में दिये गए संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है. यह नोट किया जाये कि श्रीमती पी.वी. भारती ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत यह घोषणा की है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियमन 16 में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा कर रही हैं. इसके अलावा, बोर्ड के मतानुसार भी, वह ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्ध विनियमों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं और निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र है.

श्रीमती पी.वी. भारती बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ अपने परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति की हकदार होंगी. एनआरसी की सिफ़ारिश के आधार पर बोर्ड श्रीमती पी.वी. भारती को 14 जनवरी 2025 से लगातार 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा करता है.

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्ध विनियमों के तहत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप में प्रदान दिए गए हैं.

श्रीमती पी.वी. भारती का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे दिया गया हैः

श्रीमती पी.वी. भारती 31 मार्च 2020 को कॉरपोरेशन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुईं. 01 फरवरी 2019 से कॉरपोरेशन बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बैंक को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया और कासा जुटाने, कृषि, खुदरा और एमएसएमई अग्रिमों पर जोर देने के साथ गुणवत्तापूर्ण ऋण वृद्धि और आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान

as credit delivery in sectors like Retail, Agriculture, MSME, Recovery, etc. He was the Vice President (credit) at SBI's Canadian Operations for five years where he managed the corporate credit portfolio of the Bank in Canada which included marketing for new deals including bilateral deals and syndicate advances as well as India based deals and maintaining credit quality.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 8 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Sumit Phakka himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Sumit Phakka is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

5. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 9 of the Notice

Smt. P.V. Bharathi (DIN: 06519925) was appointed as an Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. January 14, 2021 for an initial period of 4 years. She is completing her current tenure of 4 years on January 13, 2025. In terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013 read with Article 116(1) (vi) of the Articles of Association of the Bank, Smt. P.V. Bharathi is eligible for reappointment for second term of 4 consecutive years. Smt. P.V. Bharathi has offered herself for re-appointment. In terms of the provisions of Para VIII (2) of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and based on the Annual Evaluation of Independent Directors carried out for FY 2023-24, it is proposed to re-appoint Smt. P.V. Bharathi as an Independent Director for second term of 4 consecutive years w.e.f. January 14, 2025 and pass the resolution contained under Item No.9 of this AGM Notice. It may be noted that Smt. P.V. Bharathi has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that she continues to meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 of SEBI Listing Regulations. Further, in the opinion of the Board also, she fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI Listing Regulations and the Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management.

Smt. P.V. Bharathi shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of her transport, travel and stay arrangements. Based on recommendation of the NRC, Board recommends the appointment of Smt. P.V. Bharathi as Independent Director for the second term of 4 consecutive year w.e.f. January 14, 2025.

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Smt. P.V. Bharathi is provided hereinafter:

Smt. P.V. Bharathi retired as Managing Director and CEO of Corporation Bank on March 31, 2020. During her tenure with Corporation Bank from February 01, 2019, she provided strong leadership to the Bank and put the Bank on a growth path through various strategic initiatives

केन्द्रित करने के साथ विभिन्न रणनीतिक पहलकार्यों के माध्यम से बैंक को विकास पथ पर अग्रसर किया. इससे पहले वह केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) थीं. श्रीमती भारती ने 1982 में बैंकिंग उद्योग में एक अधिकारी के रूप में केनरा बैंक में कार्यग्रहण किया और उन्होंने बैंक की शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य करने के साथ-साथ बैंक के हांगकांग कार्यालय में कार्य किया. महाप्रबंधक के रूप में वह बैंक की मुख्य जोखिम अधिकारी थीं. वह बैंकिंग परिचालनों में 37 वर्षों से अधिक के विविध अनुभव के साथ एक अनुभवी बैंकर हैं. वह केनरा बैंक की विभिन्न सहायक कंपनियों के बोर्ड में थीं और उन्हें भारत सरकार द्वारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफ़सीएल) के बोर्ड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. श्रीमती पी.वी. भारती वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट भारत लिमिटेड, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में, नवकिसान फाइनेंस लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक एवं गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में, मंजूरी पश्चात ऋण पुनर्संरचना मामलों की प्रक्रिया को वैध करने के लिए आईबीए स्तर पर गठित विशेषज्ञ समिति में वैकल्पिक अध्यक्ष और समझौता प्रस्ताव, एआरसी/बैंक/एफआई/एनबीएफसी को बिक्री के लिए जांच और अनुशंसा के लिए एसबीआई की स्क्रीनिंग समिति की बाहरी सदस्य हैं.

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 9 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्रीमती पी.वी. भारती के अलावा) या बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस संकल्प को पारित करने में, बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई हो को छोड़कर, वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्रीमती पी. वी. भारती का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या बैंक के किसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएनः 06846594

पंजीकृत कार्यालयः
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005.

दिनांकः 24 जून 2024

with focus on Mobilizing CASA, Quality Credit growth with emphasis on Agriculture, Retail and MSME advances and improving asset quality. Prior to this, she was Executive Director (WTD) at Canara Bank. Ms. Bharathi joined the Banking Industry as an Officer in 1982 in Canara Bank and served in various capacities in Branches & Administrative Offices of the Bank as well as in Hong Kong office of the Bank. As a General Manager, she was Chief Risk Officer of the Bank. She is a seasoned banker with over 37 years of varied experience in Banking Operations. She was on the Board of various subsidiaries of Canara Bank and had been appointed as Scheduled Commercial Banks' (SCBs) Nominee Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) by Government of India. Smt. P.V. Bharathi currently serves as Independent Director on the Board of IDFC FIRST Bharat Limited, PTC India Financial Services Ltd., Independent Director and Non-Executive Chairman on the Board of NABKISAN Finance Ltd., Alternate Chairperson in Expert Committee set up at IBA level to validate the process of Loan Restructuring cases post sanction and External Member of SBI's Screening Committee for scrutiny and recommendation of Compromise Proposal, Sale to ARC/Bank / FI / NBFC.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No. 9 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Smt. P.V. Bharathi herself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Smt. P.V. Bharathi is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 24, 2024

सूचना का अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) और महासभा की बैठकों के बारे में सचिवीय मानक-2 के अनुसार विवरण

निदेशक का नाम	**श्री सुमित फक्का**	**श्रीमती पी. वी. भारती**
पदनाम	उप प्रबंध निदेशक	स्वतंत्र निदेशक
जन्म तारीख / आयु	18.01.1969/ 55 वर्ष	22.03.1960 / 64 वर्ष
प्रथम नियुक्ति की तारीख	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से	14 जनवरी 2021
योग्यताएं	बी. कॉम, एमबीए (वित्त) और सीएआईआईबी	बी. एससी., एम.ए. (अर्थशास्त्र), बी.एड., सीएआईआईबी, बैंकिंग और वित्त में एकीकृत पाठ्यक्रम (एनआईबीएम)
विशेषज्ञता	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, वित, लघु उद्योग, कारोबार प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन.	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, जोखिम, अर्थशास्त्र, प्रशासन और कंपनी अभिशासन
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद	कोई नहीं	1. आईडीएफसी फर्स्ट भारत लिमिटेड; 2. पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड; 3. नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड; 4.मंजूरी पश्चात ऋण पुनर्संरचना मामलों की प्रक्रिया को वैध करने के लिए आईबीए स्तर पर गठित विशेषज्ञ समिति; 5.समझौता प्रस्ताव, एआरसी/बैंक/एफआई/ एनबीएफसी को बिक्री के लिए जांच और अनुशंसा के लिए एसबीआई की स्क्रीनिंग समिति

ANNEXURE to the notice

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings

Name of Director	**Shri Sumit Phakka**	**Smt. P.V. Bharathi**
Designation	Deputy Managing Director	Independent Director
Date of Birth/ Age	18.01.1969 / 55 years	22.03.1960 / 64 years
Date of first appointment	From the date of taking charge.	January 14, 2021
Qualification	B.Com, MBA (Finance) and CAIIB	B Sc., MA (Economics), B.Ed., CAIIB , Integrated course in banking and finance (NIBM)
Expertise	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Finance, Small Scale Industry, Business Management, Administration and Corporate Governance	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Risk, Economics, Administration and Corporate Governance
Directorship in other entities	NIL	1. IDFC FIRST Bharat Ltd.; 2. PTC India Financial Services Ltd.; 3. NABKISAN Finance Ltd.; 4. Expert Committee set up at IBA level to validate the process of Loan Restructuring cases post sanction; 5. SBI's Screening Committee for scrutiny and recommendation of Compromise Proposal, Sale to ARC/Bank / FI / NBFC

सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे निदेशकों ने पिछले 3 वर्षों में इस्तीफा दिया है, यदि कोई हो	कोई नहीं	शून्य
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता	कोई नहीं	लेखापरीक्षा समिति की सदस्य: i. आईडीएफसी फर्स्ट भारत लि.; ii. पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लि.
निदेशक की शेयरधारिता	शून्य	शून्य
निदेशकों के बीच परस्पर संबंध	कोई नहीं	कोई नहीं
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के निबंधन और शर्तें	डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35बी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 203 और अनुसूची V धाराओं के प्रावधानों में प्रदान की गई हैं. बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार, डीएमडी ऐसी शक्तियों और प्राधिकरणों का प्रयोग करेंगे तथा बोर्ड या एमडी एवं सीईओ द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे जो बैंक के एमडी एवं सीईओ के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन होंगे.	स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं.
पारिश्रमिक	डीएमडी को देय परिश्रमिक रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से अनुमोदित होगा.	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और रहने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति की हकदार हैं.

Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any	NIL	NIL
Membership / Chairmanship in Committees of other entities	NIL	Member of Audit Committee in: i. IDFC First Bharat Ltd.; ii. PTC India Financial Services Ltd.
Shareholding of Director	NIL	NIL
Relationship between directors inter-se	NIL	NIL
Terms and Conditions of Appointment/ Re-appointment	Terms and conditions for Appointment of WTD are as provided in Section 35B of Banking Regulation Act, 1949, Sections 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the Bank, the DMDs shall exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the MD & CEO, subject to the supervision, direction and control of the MD & CEO of the Bank.	Terms and conditions for re-appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013, provisions of SEBI Listing Regulations and RBI Guidelines.
Remuneration	Remuneration payable to DMD would be as approved annually by the RBI.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.

नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए औचित्य और इस भूमिका के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने की पद्धति जिन्हें प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशक पूरा करते हैं.	लागू नहीं	बैंक के बोर्ड में लगभग 4 वर्षों के निरंतर पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर और वित्तीय वर्ष 2023-24 के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर श्रीमती पी.वी. भारती को स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव है.
इस अवधि में बोर्ड बैठकों में भाग लेने की संख्या (आयोजित/ जिनमें सहभागिता की गई)	लागू नहीं	13/12

Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.	Not Applicable	Based on the continuous past Performance of around 4 years on the Bank's Board and based on the performance evaluation for FY 2023-24, Smt. P.V. Bharathi is proposed to be re-appointed for second term as Independent Director.
Number of Board meetings attended during their tenure (Held/Attended)	Not Applicable	13/12